न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 357/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2024/539**
दायर दिनांक :– 26.12.2024 निर्णय दिनांक :– **25.09.2025**

1. मनोराराम पुत्र गलूराम जाति विश्नोई निवासी निवासी जैसला तह. घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. सुवटी पत्नी बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी जैसला तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. धनाराम पुत्र मलूराम जाति विश्नोई निवासी जैसला तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. भजनाराम पुत्र मलूराम जाति विश्नोई निवासी जैसला तहसीलं घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 318 रकबा 12.3024 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 318/1 रकबा 12.3024 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा केलनसर पटवार हल्का पटवार केलनसर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 ने मूल खसरा नम्बर 318 कुल रकबा 152–00 बीघा भूमि खरीद की थी और खरीद अनुसार पटवारी हल्का ने प्रार्थी एवं अप्रार्थीग संख्या 4 के खाते अलग–अलग कायम दिये जबकि नियमानुसार बेचान के आधार पर खाते अलग कायम नहीं किये जा सकते है लेकिन उक्त भूमि राजस्व अभिलेख नक्शा लट्ठा में सामलाती ही दर्ज रही जो पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.12.2020 को जारी नक्शा ट्रेस से प्रमाणित है। प्रार्थीग ने अपने नाम दर्ज खसरा नम्बर 318 रकबा 76–00 बीघा में से 1/4 हिस्सा भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया था और प्रार्थी ने संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 को कब्जा सुपुर्द कर दिया। अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने नाम दर्ज खसरा नम्बर 318/1 रकबा 76–00 बीघा में से 17/76 हिस्सा भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया था और अप्रार्थी संख्या 4 ने संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 को कब्जा सुपुर्द कर दिया। संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का कब्जा व काश्त है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दो अलग–अलग खरीददारों से भूमि खरीद करने से विक्रेतागण प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 का अलग–अलग कब्जा व काश्त था इसलिये मौके पर भी वर्तमान खरीद अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 का भी दो अलग–अलग जगह पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा

A— 25.9.25

अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 उक्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है तथा इसी अनुसार ही मौके पर प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणियां, पानी के टांका एवं पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थीगण अपने–अपने परिवार बाहर ही मास निवास करते आ रहे है तथा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही प्रार्थीगण ने पत्थर के खूंटे रोपकर तारबन्दी कर रखी है। लेकिन तत्कालीन पटवारी ने बिना किसी आदेश के ही प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम नक्शा लटठा में प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त से भिन्न कर दी गई थी और उसी गलत तरमीम के आधार पर ही वर्तमान में सेग्रीगेशन योजना के तहत पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम करदी जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की तरमीम करवाने हेतु कभी भी किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र एवं सहमति नहीं दी है। प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम केलनसर पटवार हल्का केलनसर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 318/1 रकबा 12.3024 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 318/1 भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरूद्ध तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त की तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब में बताया कि ग्राम केलनसर के खसरा नम्बर 318 रकबा 12.3024 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318/1 रकबा 12.3024 हैक्टेयर भूमि की तरमीम नियमानुसार शुद्व की जाती है तो कोई उजर एतराज नहीं है। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम केलनसर पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 318 रकबा 12.3024 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318/1 रकबा 12.3024 हैक्टेयर की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है। ऑनलाईन नक्शा में एवं नक्शा लट्ठा में भिन्नता है या नहीं इसका वर्णन मौका रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया है। चूंकि विवादग्रस्त खसरान की भूमि तरमीम को किस प्रकार दुरूस्त किया जाना है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वर्तमान ऑनलाईन तरमीम एवं कब्जा काश्त में भिन्नता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

A —— 25/07/25

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)